



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222507
CG-DL-E-16102020-222507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]
No. 436]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2020

सं.-एन-12/13/01/2019-यो.एवं वि.—जबकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में राहत के साथ 01.07.2020 से 30.06.2021 तक विस्तारित करने की मसौदा अधिसूचना, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से जनता को इसे उपलब्ध कराने की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) में यथा-अपेक्षित भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गयी थी;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 11.09.2020 से सार्वजनिक उपयोग के लिये उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया ;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो कि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 में दिनांक 04.02.2019 को अधिसूचित की गई थी को दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक, दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक निम्नलिखित पात्रता शर्तों में राहत के साथ, एतद्वारा विस्तारित करने को अधिसूचित करता है :-

1. बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी के ठीक पूर्व के दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पूर्व अंशदान अवधि में कम-से-कम 78 दिनों तथा बेरोजगारी से पूर्व के दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान होना चाहिए।

2. दावा बेरोजगारी की तिथि के पश्चात 30 दिनों में देय होगा।
3. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा राहत का दावा, शाखा कार्यालय को सीधे विधिवत पूर्ण निर्धारित दावा प्रपत्र में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान, विधिवत पूर्ण दावे की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा।
4. बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों के लिए, पिछली चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत अर्जन राशि की 50% तक राहत प्रदान की जानी है।

उपर्युक्त छूट दी गई पात्रता शर्तें केवल 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए ही लागू होंगी। अन्य शर्तें, दिनांक 04.02.2019 को अधिसूचित मूल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में निर्दिष्ट अनुसार पूर्ववत ही रहेंगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी जो 23.03.2020 या उससे पहले एवं 01.01.2021 या उसके बाद बेरोजगार हुए हों।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (यो.व.वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./299/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October 2020

No. N-12/13/01/2019-P&D.—Whereas draft notification further to extend Scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for the period 01.07.2020 to 30.06.2021 with relaxation in eligibility conditions for the period 24.03.2020 to 31.12.2020 was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 11.09.2020 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said gazette notification was made available to the public on 11.09.2020;

And the suggestions received from the persons likely to be affected were considered;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 97 the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies the extension of the Scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana, which was notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III section 4 on 04.02.2019, for the period from 01.07.2020 to 30.06.2021 with relaxation in following eligibility conditions for availing relief under the Scheme during the period 24.03.2020 to 31.12.2020, which shall be as under: -

1. The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of two years immediately before his/ her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to unemployment.
2. Claim shall be due 30 days after date of unemployment.
3. The claim for relief may be submitted by an IP online in the prescribed claim form duly completed, directly to the Branch office. The payment shall be made in the bank account of the IP within 15 days from the receipt of the duly completed claim. Aadhaar shall be used for identification of the Insured Person.

4. Relief to the extent of 50 % of the average per day earning during the previous four contribution periods to be paid up to maximum 90 days of unemployment.

The above relaxed eligibility conditions shall be applicable for the period 24.03.2020 to 31.12.2020 only. The other conditions as specified in the original Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana as notified on 04.02.2019 shall remain the same. The Scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana shall be available with original eligibility conditions for the IPs who became unemployed on or before 23.03.2020 and on or after 01.01.2021.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT-III/4/Exty./299/2020-21]